न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कनवास, कोटा

पीठासीन अधिकारी :- निखिल टाक, आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नम्बर :- 588/2021
विविध आपराधिक प्रकरण संख्या :- 288/2021
सी.एन.आर नंबर :- RJKT18-000843-2021

सीता बाई पत्नी स्व. जयसिंह पुत्री सरदार सिंह आयु 27 वर्ष निवासी म. नं. 362 महावीर नगर प्रथम कोटा हाल निवासी ग्राम गोपालपुरा तह. कनवास थाना कनवास जिला कोटा (राज.) **.......प्रार्थिया**

बनाम

1. बालसिंह चौहान पुत्र श्री इन्द्र सिंह
2. शकुन्तला पत्नी बालसिंह चौहान
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र बाल सिंह
4. अजय सिंह पुत्र बाल सिंह
5. संजय सिंह पुत्र बाल सिंह

निवासीगण मकान नं. 362 महावीर नगर प्रथम कोटा तह. लाडपुरा जिला कोटा

......अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

उपस्थितः-

1. श्री महेश कुमार मालव विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थिया की ओर से
2. श्री रेवतीरमण नागर, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 4 की ओर से
3. श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी क्रम 5 की ओर से

-निर्णय- **दिनांकः- 16.07.2026**

1. इस प्रकरण का उद्भव प्रार्थिया सीता बाई द्वारा दिनांक 09.12.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप हुआ है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया सीता बाई ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थिया का विवाह दिनांक 21.04.2015 को अप्रार्थी क्रम 1,2 के पुत्र व अप्रार्थी 3 लगायत 5 के भाई जय सिंह के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के साथ ही गौने की रस्म भी अदा कर दी गई थी। परिवादिया के पिता के विवाह एवं गौने की रस्म

के समय प्रार्थीया को उपहार स्वरूप कानों की झुमकी सोने की वजनी 1 तोला, चांदी की पायल, एक सोने की अंगूठी, एक सोने की चैन, एक डबल बेड, ड्रेसिंग अलमारी, कूलर, गोदरेज अलमारी, रजाई, गद्दे, तकिये मिक्सी डिनर सेट, चरा चरी का बेवडा, कलर टीवी (एलईडी) टिफिन सेट, बाल्टी, 12 थाली. 12 कटोरी, 12 चम्मच, व सभी खाने पोने के सामान एवं करीब 100000/- के पहरावनी के कपडे दिये थे तथा प्रार्थीया को आती जाती कर दी थी।

3. प्रार्थिया ने आगे कथन किया है कि मैं ससुराल आती जाती हुई तब थोडे दिन बाद ही प्रार्थीया को पता चला कि प्रार्थीया के पति जयसिंह का वंशिका नाम की लडकी के साथ अवैध सम्बन्ध थे तथा वह अकसर उसी के साथ रहता था तथा प्रार्थीया के पति ने एक अलग फ्लेट प्रेमनगर में ले रखा था जिसमें वह वंशिका नाम की लड़की के साथ रहता था तथा मुझसे कहता था कि तू मुझे तलाक दे दे ताकि में वंशिका से शादी कर सकू तथा मैं तेरी भी दूसरी शादी करवा दूगों मेरे पति ने अपने हाथ पर वंशिका का नाम भी गुदवा रखा था मैं उसकी बातों से बड़ी व्यथित रहती थी। मेरा पति विवाह के करीब 7 माह बाद ही घर छोडकर प्रेमनगर में वंशिका के साथ रहने लग गया तथा उसने मेरे विरूद तलाक का मुकदमा भी किया लेकिन उसमें अदालत ने उस मुकदमें को खारिज कर दिया । उसके बावजूद मैं मेरे सास ससुर व जेठ जठानी (अप्रार्थीगण) के साथ डेढ़ साल तक ससुराल में रही लेकिन अप्रार्थीगण का व्यवहार मेरे प्रति सही नही रहा तथा वह भी मुझे घर से निकालना चाहते थे तथा 24.04.2017 को आप्रार्थीगण ने लड़ झगडकर मुझे घर से निकाल दिया व मेरे कमरे एवं सामान जेवर पर भी कब्जा कर लिया ।

4. प्रार्थीया के पति जयसिंह ने दिनांक 01.04.2019 को ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली इस पर मुझे सूचना लगते ही मैं तुरन्त मेरे पीहर वालों के साथ कोटा गई लेकिन अप्रार्थीगण ने मुझे वहाँ नहीं रूकने दिया तथा अप्रार्थीगण ने मुझे गालियां देकर व लडाई झगडा करके वापस घर से भगा दिया और कहा कि चली जा यहां से अब तेरा यहाँ कुछ नही है तथा मुझे भगा दिया उसके बाद मैने किराये का मकान लेकर ट्रांसपोर्ट नगर कोटा में रही तथा वही मैने मेरे पति के 12 दिन किये व सभी रस्मे की। लेकिन उसके बाद अभी तक अप्रार्थिगण मुझे ससुराल के घर में नहीं रहने देते है तथा कहते है कि यहाँ आई तो जान से खत्म कर देगें । मेरे पति की मृत्यु के पश्चात् उनका जो फ्लेट प्रेमनगर कोटा में था उस पर भी अप्रार्थीगण ने कब्जा कर लिया और उसे भी 600000/- रूपये में बेच दिया तथा उसके रूपये भी हडप लिये जो अप्रार्थीगण के पास ही है तथा प्रार्थीया का सभी स्त्रीधन का सामान व सोने चांदी के जेवर एवं कपडे, बर्तन सारे अप्रार्थीगण के पास ही है जो मुझे कई बार मांगने पर भी उन्होने वापस नहीं दिये है।

Authenticated Document

5. प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि मेरे पति एवं अप्रार्थीगण का पेतृक संयुक्त मकान म०न० 362 महावीर नगर प्रथम में स्थित जिसमे 10 कमरे है तथा तीन मंजिल मकान है जिसमें तीसरी मंजिल मेरे पति ने स्वयं की कमाई से बनाई थी जिसमें एक कमरा, रसोई व लेट्रिन बाथरूम है जिसमें प्रार्थीया रहती थी तथा उसी में मेरे सामान रखे थे जिस पर अप्रार्थीगण 1,2,3,4 ने कब्जा कर रखा है तथा मुझे उस घर में निवास नहीं करने दे रहे है तथा अप्रार्थीगण मुझे भरण पोषण की राशि भी नहीं दे रहे है ऐसे में प्रार्थीया का जीवन जीना दूभर हो गया है तथा प्रार्थिया को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थीया को भरण पोषण, इलाज, दवा आदि हेतु 15000/- रूपये मासिक खर्च एवं महावीर नगर प्रथम कोटा में स्थित मकान न 362 में मेरे हिस्से में निवास हेतु मेरा हिस्सा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

6. प्रार्थिया ने आगे कथन किया है कि मुल क्रम 1 के घर का ऑटो है तथा ऑटो चलाते है तथा नरेन्द्र सिंह मोटर व्यवसाय करता है तथा घर की गाडियाँ है व अजय सिंह के मोटर गेराज है व संजय सिंह के भी घर की ऑटो है तथा मकान में 5 कमरे किराये पर देते है जिसकी आमदनी बालसिंह के पास रहती है इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 महिने करीब 50000/- कमाते है तथा अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 5 भी करीब 50000/- मासिक कमाते है लेकिन अप्रार्थीगण फिर भी प्रार्थीया के भरण पोषण खर्च नही दे रहे है तथा मकान में भी नही रहने देते है जबकि प्रार्थीया के पास कमाई का कोई भी स्त्रोत नही है ना ही रहने क लिए आवास की व्यवस्था है इसलिए प्रार्थीया का दावा किया गया अनुतोष 15000/- मासिक भरण पोषण व प्रेमनगर अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में स्थित फ्लेट के विक्रय से प्राप्त राशि 600000/- रू, चिकित्सा व्यय 30000/- व शारीरिक एवं मानसिक संताप हेतु राशि 400000/- रू. प्रत्यार्थीया को अप्रार्थीगण से दिलवाया जावे तथा म.न. 362 महावीर नगर प्रथम कोटा स्थित मकान में प्रार्थीया को हक व हिस्सा दिलवाया जावे एवं उसके निवास करने से अप्रत्यर्थीगण प्रार्थीया को नही रोके इस हेतु आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया गया।

7. प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस आहूत किया गया। जिसके जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2022 को पेश किया।

8. अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. में वर्णित तथ्य प्रार्थिया के पति का अन्य लडकी से सम्बन्ध होने वाली बात कभी सामने नहीं आई, प्रार्थिया स्वयं उसके पति के साथ उस फ्लेट में रहती थी जो विवाह के एक माह बाद ही अलग रहने लग गए थे तथा प्रार्थिया हम प्रार्थीगण से अलग रहने लगी उसके कुछ दिन बाद पीहर गई जो वापस नहीं आई तथा दोनों में विवाद रहता

था। प्रार्थिया को उसका पति दो तीन बार लेने गया तब भी प्रार्थिया उसके साथ नहीं आई तब उसके पति ने तलाक का मुकदमा किया था। प्रार्थिया के खुद के अन्यत्र सम्बन्ध थे इस कारण वह उसके पति के साथ नहीं रहती थी इस कारण उसने तलाक का मुकदमा किया था जो अदालत से खारिज हो गया था उसके बाद ही उसने आत्महत्या कर ली थी जो प्रार्थिया के कारण ही की थी, प्रार्थिया की सगी बडी बहिन भी अप्रार्थी क्रम 4 के साथ ब्याही गई है। अगर प्रार्थिया के पति के अन्यत्र सम्बन्ध होते तो वह अपनी सगी बहिन का रिश्ता क्यों करवाती इस कारण प्रार्थिया के द्वारा उसके पति पर लगाए गए आरोप मनगढंत हैं। इस कारण अस्वीकार है।

9. अप्रार्थीगण द्वारा आगे कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 मिथ्या व मनगडंत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है तथा जवाब में निवेदन है कि उक्त मकान पुश्तैनी नहीं है। उसको अप्रार्थी क्रम 1 बालसिंह द्वारा खरीदकर बनवाया था। बालसिंह की प्राईवेट नौकरी थी। युवावस्था में वह मकान बनाया था जिसका किराया ही अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की आजीविका का सहारा है। अप्रार्थीगण 3,4,5 अपना अपना काम धन्धा करके अपना अपना जीवन जी रहे हैं तथा सभी अलग अलग रह रहे हैं। प्रार्थिया का पति जब पढाई करके ही निपटा था उसी समय उसका विवाह कर दिया था। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा मकान बनाने वाली बात बिलकुल असत्य है तथा प्रार्थिया उक्त मकान में विवाह के समय 1 माह तक रही थ्ज्ञी बाद में दोनों पति पत्नी अलग रहने लग गए थे, उक्त मकान बालसिंह अप्रार्थी क्रम 1 का स्वअर्जित है जिसमें किसी भी पुत्र का हिस्सा बालसिंह जी के जीतेजी नहीं है तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 बालसिंह जी व उनकी पत्नी शकुंतला वृद्ध हो गए हैं उनकी कोई आमदनी नहीं है यह मकान ही एकमात्र आजीविका का सहारा है जिसके किराये से ही दोनों का खर्चा चलता है इसमें प्रार्थिया व उसके पति का कोई हक नहीं बनता है तथा प्रार्थिया उसके गांव में 300 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी पर जाती है कृषि कार्य में रोजाना मजदूरी मिलती है इससे प्रार्थिया खुद 8000 से 9000/- रूपए महीना कमा लेती है। प्रार्थिया अभी युवा है तथा काम धन्धा करती है जिससे उसका गुजारा आराम से चल रहा है।

10. अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 10 अस्वीकार है तथा प्रार्थना प्रार्थिया अस्वीकार है तथा जवाब में निवेदन है कि अप्रार्थीगण का परिवार मजदूरी पेशा परिवार है जिनकी कोई पुश्तैनी सम्पत्ति नहीं है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 उत्तर प्रदेश से मजदूरी करने कोटा आए थे। अप्रार्थी क्रम 1 ने मजदूरी करके रहने का मकान बनाया था तथा सभी बच्चे विवाह के बाद अपना अपना काम धन्धा करते हुए अलग अलग रह रहे हैं तथा बालसिंह जी की मजदूरी से निर्मित महावीर नगर प्रथम का मकान 12.1/2 फुट चौडा व 35 फुट लम्बा छोटी साईज का मकान है जिससे प्राप्त किराया ही अप्रार्थी क्रम 1

व 2 का जीवन आधार है। 70 वर्ष की आयु में काम धन्धा नहीं होता। उक्त मकान अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का स्वयं का बनाया है इस कारण उसमें किसी भी पुत्र का हक नहीं है। ऐसी स्थिति में जब प्रार्थिया के पति का ही उक्त मकान में कोई हक नहीं है तो प्रार्थिया को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का व सास ससुर के साथ जबरन रहने का कोई अधिकार नहीं है तथा प्रार्थिया के सभी जेठ अपना परिवार अपनी मजदूरी करके चलाते हैं। उनसे भी प्रार्थिया को किसी भी प्रकार का गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11. प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं को ए.डब्ल्यू. 1 तथा प्रार्थिया के पिता सरदार सिंह को ए.डब्ल्यू. 2 के रूप में परीक्षित कराया गया। अप्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में बालसिंह को डी.डब्ल्यू. 1, बलविन्दर सिंह को डी.डब्ल्यू. 2 तथा संजय सिंह को डी.डब्ल्यू. 3 के रूप में परीक्षित करवाया गया।

12. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का परिशीलन किया गया।

13. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा प्रमुखता से प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क किया गया कि प्रार्थिया अप्रार्थी क्रम 1,2 के पुत्र व अप्रार्थी 3 लगायत 5 के भाई जय सिंह की विवाहिता पत्नी है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुताबिक अप्रार्थीगण द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की घटना एवं घरेलू हिंसा की घटनाओं की दिनांक वर्णित की गई है। प्रार्थिया ए.डब्ल्यू. 1 सीता बाई से की गई प्रतिपरीक्षा में भी वह अपने मुख्य परीक्षण के कथनों से अविचलित रही है। प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा कारित किया जाना एवं प्रार्थिया के भरण पोषण हेतु समुचित व्यवस्था नहीं किया जाना साबित हुआ है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार अनुतोष प्रदत्त किया जावे।

14. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रमुखता से यह तर्क दिया है कि प्रार्थिया द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से प्रार्थना पत्र व साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथपत्र की ताईद नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में अप्रार्थीगण के पास अत्यधिक आय होना बताया गया है जबकि अप्रार्थीगण का परिवार मजदूर पेशा परिवार है जिनकी कोई पुश्तैनी सम्पत्ति नहीं है। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थीगण की आय संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

15. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

16. हस्तगत प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैंः-

(1) आया प्रार्थिया के साथ अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू हिंसा कारित की गई?

(2) आया प्रार्थिया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 1</u>:-

17. उक्त बिन्दु के संदर्भ में प्रार्थिया के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया जाए तो सर्वप्रथम हस्तगत प्रार्थना पत्र में यह तथ्य की प्रार्थिया का विवाह दिनांक 21.04.2015 को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पुत्र एवं अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 5 के भाई जयसिंह के साथ सम्पन्न हुआ था। यह तथ्य स्वीकृत तथ्य है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में स्वयं प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 को स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र व अपने साक्ष्य शपथ पत्र में यह तथ्य वर्णित किया है कि प्रार्थिया के पति जयसिंह का किसी वंशिका नाम की लडकी के साथ अवैध सम्बन्ध था तथा वह उसी के साथ एक अलग फ्लेट प्रेमनगर में रहता था व प्रार्थिया द्वारा यह जाहिर किया जाता है कि उसका पति विवाह के करीब 7 माह के बाद ही घर छोडकर प्रेमनगर में वंशिका के साथ में रहने लग गया था। यह कि उसके बावजूद भी प्रार्थिया अपने सास ससुर व जेठ जेठानी के साथ डेढ साल तक ससुराल में रही लेकिन अप्रार्थीगण का व्यवहार उसके प्रति सहीं नहीं रहा तथा वह भी उसे घर से निकालना चाहते थे तथा दिनांक 24.04.2017 को अप्रार्थीगण ने लड झगडकर प्रार्थिया को घर से निकाल दिया व उसके कमरे एवं सामान जेवर पर भी कब्जा कर लिया।

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह जाहिर किया जाता है कि प्रार्थिया के पति जयसिंह ने दिनांक 01.04.2019 को ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी जिस पर उसे सूचना लगते ही वह तुरन्त उसके पीहर वालों के साथ कोटा गई लेकिन अप्रार्थीगण ने उसे वहां नहीं रूकने दिया तथा अप्रार्थीगण ने उसे गालियां देकर व लडाई झगडा करके वापस घर से भगा दिया।

प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद अपने साक्ष्य शपथ पत्र में इस तथ्य से की गई है कि मैं मेरे सास ससुर एवं जेठ जेठानी के साथ डेढ साल तक ससुराल में रही लेकिन अप्रार्थीगण का व्यवहार उसके प्रति सही नहीं रहा तथा वह भी मुझे घर से निकालना चाहते थे तथा दिनांक 24.04.2017 को अप्रार्थीगण ने लड

झगडकर मुझे घर से निकाल दिया और मेरे कमरे और सामान जेवर पर कब्जा कर लिया। इस स्तर पर अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थिया से की गई जिरह का अवलोकन किया जाए तो दौराने जिरह प्रार्थिया द्वारा यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि यह कहना गलत है कि मेरे विवाह के 4 महीने बाद ही पीहर में आ गई हूं बल्कि मैं 7 महीने बाद आई थी। यह कहना गलत है कि 7 महीने मैं पीहर आने के बाद वापस ससुराल नहीं गई हूं। प्रार्थिया द्वारा दौराने जिरह यह भी तथ्य जाहिर किया है कि मेरे विवाह से लेकर आखिरी समय तक कुल डेढ वर्ष तक ससुराल रही हूं।

इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह बालसिंह चौहान डी.डब्ल्यू. 1 के बयानों का अवलोकन किया जाए तो उक्त गवाह द्वारा यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि शादी के बाद सीता बाई ससुराल में मकान नं. 362 महावीर नगर में आकर बतौर बहू रही थी और सीता बाई करीब 6 माह तक हमारे साथ रही थी। गवाह द्वारा यह भी जाहिर किया जाता है कि यह बात ही है कि सीता बाई मेरे मकान की तीसरी मंजिल वाले कमरे में रहती थी और इसके सामान आदि भी उसी तीसरी मंजिल वाले कमरे में थे। उक्त गवाह द्वारा दौराने जिरह यह भी तथ्य जाहिर किया जाता है कि यह कहना सही है कि सीता के सामान आज भी उसी तीसरी मंजिल वाले कमरे में है जिसे सीता साथ लेकर नहीं गयी थी।

इसके अतिरिक्त गवाह डी.डब्ल्यू. 3 संजय सिंह चौहान द्वारा अपने बयानों में यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि यह बात सही है कि मेरे भाई जयसिंह की मृत्यु के समय सीता बाई आयी थी लेकिन उसे मेरे पिता व मेरे अन्य भाईयों ने वहां नहीं रहने दिया जिस पर उसने अलग से कमरा लेकर वहीं पर मेरे भाई दिन गए थे। उक्त गवाह द्वारा यह भी तथ्य जाहिर किया जाता है कि सीता बाई का सामान तीसरी मंजिल पर स्थित है जिसमें अब जयसिंह व उसकी पत्नी पायल चौहान रह रही है तथा सीता बाई के स्त्रीधन के सामान को वही लोग उपयोग में ले रहे हैं।

18. हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम न्यायालय को यह तथ्य देखना है कि क्या प्रार्थिया कभी अप्रार्थीगण के साथ कौटुम्बिक गृह में निवासरत रही है जिसके संदर्भ में प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में व प्रार्थिया द्वारा अपने बयान पी.डब्ल्यू. 1 में इस तथ्य की ताईद की है कि शादी के बाद वह 7 महीनों तक ससुराल में ही रही थी व विवाह से लेकर आखिरी समय तक कुल डेढ वर्ष तक भी वह ससुराल में रही है। उक्त तथ्य की ताईद प्रार्थिया की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू. 2 सरदार सिंह के द्वारा भी यह तथ्य जाहिर करते हुए की है कि यह कहना सही है कि शादी के बाद 5-6 महीनों के करीब सीता बाई ससुराल में रह रही थी। इसके अतिरिक्त स्वयं अप्रार्थी की द्वारा से गवाह डी.डब्ल्यू. 1 के द्वारा यह तथ्य जाहिर किया गया है कि शादी के बाद सीता बाई

ससुराल के म.नं. 362 महावीर नगर में आकर बतौर बहू करीब 6 माह तक रही थी व उक्त गवाह द्वारा यह भी जाहिर किया गया है कि आज भी सीता बाई का सामान उसी मकान की तीसरी मंजिल के कमरे में रखा है। इसके अतिरिक्त उक्त तथ्य की ताईद गवाह डी.डब्ल्यू. 3 संजय सिंह चौहान द्वारा भी यह तथ्य जाहिर करते हुए की गई है कि सीता बाई का सामान महावीर नगर के उक्त मकान में तीसरी मंजिल में स्थित कमरे पर रखा हुआ है और सीता बाई उसके पति जयसिंह के साथ उक्त तीसरी मंजिल वाले कमरे में रहती थी। उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर यह जाहिर होता है कि स्वयं अप्रार्थीगण की ओर से सर्वप्रथम इस तथ्य को स्वीकृत किया है कि सीता बाई उनके पुत्र व भाई जयसिंह की विवाहिता पत्नी है और शादी होने के पश्चात वह सुसुराल की म.नं. 362 महावीर नगर में उन सब के साथ निवासरत थी। अतः उक्त तथ्यों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थिया सीता बाई अप्रार्थीगण के साथ कौटुम्बिक गृह में निवासरत थी।

इसके अतिरिक्त न्यायालय को यह देखा जाना है कि किस प्रकार से प्रार्थिया पर घरेलू हिंसा कारित हुई। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया की ओर से इस प्रकार का कोई तथ्य या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि अप्रार्थीगण के द्वारा सीता बाई से मारपीट की गई हो या उसे किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक उपहति कारित की गई हो व ना ही अप्रार्थीगण की ओर से भी कोई कृत्य किया गया हो जिससे प्रार्थिया की बदनामी हुई हो या अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थिया को नीचा दिखाने हेतु ऐसा कोई कृत्य किया गया हो। हस्तगत प्रकरण में वर्णित समस्त तथ्यों व प्रकरण के गवाहों द्वारा जाहिर किए गए तथ्यों से जो तथ्य स्पष्ट होता है वह यह है कि सीता बाई दिनांक 24.04.2017 को ससुराल वाले घर आई थी परन्तु अप्रार्थीगण ने उसे लड झगडकर घर से निकाल दिया व उसके कमरे तथा सामान जेवर पर भी कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त उक्त तथ्य के संदर्भ में प्रार्थिया द्वारा अपने शपथपत्र में भी उक्त तथ्य की ताईद की है व दौराने जिरह भी प्रार्थिया द्वारा यह तथ्य जाहिर किया है कि दिनांक 24.04.2017 को मैं मेरे ससुराल आई। चूंकि उसके बाद मैं ससुराल नहीं गई क्योंकि मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया था। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी बालसिंह जो कि डी.डब्ल्यू. 1 के तौर पर परीक्षित हुआ है उक्त गवाह द्वारा दौराने जिरह यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि सीता अगर मेरे घर में रहना चाहे तब भी मैं नहीं रखूंगा। गवाह द्वारा यह भी तथ्य जाहिर किया जाता है कि यह बात सही है कि सीता के पास आज की तारीख में स्वयं का रहने के लिए कोई घर नहीं है और वह इधर उधर कभी अपने माता पिता के पास तथा कभी अपनी बहिन के पास रहती है। उक्त गवाहों द्वारा जाहिर किए गए समस्त तथ्यों से यह जाहिर होता है कि प्रार्थिया सीता बाई शादी के पश्चात अप्रार्थीगण के साथ कौटुम्बिक गृह में निवासरत थी तथा उसके बाद प्रार्थिया व उसका पति जयसिंह अप्रार्थीगण से अलग रहने लगे परन्तु जब दिनांक

24.04.2017 को ससुराल आई तो अप्रार्थीगण ने उसे घर में नहीं रहने दिया। इसके अतिरिक्त स्वयं गवाह डी.डब्ल्यू. 3 संजय की ओर से यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि प्रार्थिया के पति जयसिंह की मृत्यु के समय जब सीता बाई ससुराल आई थी तो उसके पिता व अन्य भाईयों ने उसे वहां नहीं रहने दिया। अतः उक्त तथ्यों से अप्रार्थीगण द्वारा किया गया उक्त कृत्य घरेलू हिंसा की परिभाषा में Economic Abuse की श्रेणी में आता है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में उक्त गवाहों द्वारा जाहिर किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थिया जयसिह की वैवाहिक पत्नी है जो शादी के पश्चात अप्रार्थीगण के साथ कौटुम्बिक गृह में निवासरत थी परन्तु जयसिंह की मृत्यु होने के पश्चात उसे उस मकान में निवासरत नहीं रहने दिया जा रहा है। हस्तगत प्रकरण के अप्रार्थी व गवाह डी.डब्ल्यू. 1 द्वारा स्वयं यह तथ्य जाहिर किया गया है कि आज भी सीता बाई का सामान उस मकान के तीसरी मंजिल पर है व गवाह डी.डब्ल्यू. 3 द्वारा भी इस तथ्य की ताईद की है कि सीता बाई का सामान तीसरी मंजिल पर है और उस कमरे में अभी अजय सिंह और उसकी पत्नी रहते हैं।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 2</u>:-

19. विचारणीय बिन्दु क्रम 1 में किए गए विवेचन में यह तथ्य कहीं पर भी साबित नहीं हुआ है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया से किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्रूरता या उपहति कारित की गई हो या प्रार्थिया से किसी प्रकार के कोई दहेज की मांग की गई हो। विचारणीय बिन्दु क्रम 1 के समस्त तथ्यों के विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थिया म.नं. 362 महावीर नगर प्रथम कोटा में अप्रार्थीगण के साथ कौटुम्बिक गृह में निवासरत थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के द्वारा उसे प्रार्थिया के पति जयसिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त गृह में प्रवेश किए जाने से इन्कार कर दिया गया था। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से वांछित अनुतोषों के सम्बन्ध में बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश</u>:-

20. प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य से अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई कृत्य कारित किया जाना साबित करने में असफल रही है जिसके विरूद्ध प्रार्थिया के पक्ष में कोई संरक्षण आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता हो। अतः प्रार्थिया अपने पक्ष में धारा 18 के अन्तर्गत कोई संरक्षण आदेश प्राप्त करने की अधिकारिणी प्रतीत नहीं होती है।

<u>धारा 19 के अधीन निवास आदेश</u>:-

21. प्रकरण के तथ्यों व गवाहों के बयानों के संबंध में किए गए विवेचन से अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 4 के विरूद्ध प्रार्थिया को प्रार्थना पत्र में वर्णित कौटुम्बिक गृह में निवासरत हेतु

दाखिल किए जाने हेतु आदेशित किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अप्रार्थी क्रम 1 बालसिंह द्वारा अपने बयानों में यह जाहिर किया है कि वर्तमान में प्रार्थिया के पास स्वयं का रहने का कोई घर नहीं है, ऐसे में अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 4 द्वारा वर्तमान में प्रार्थना पत्र में वर्णित कौटुम्बिक गृह म.नं. 362 महावीर नगर योजना कोटा में निवासरत है, उन्हें आदेशित किया जाता है कि उक्त गृह में प्रार्थिया सीता बाई को निवास हेतु दाखिल किया जावे अथवा यदि उक्त निवास गृह में प्रार्थिया को दाखिल नहीं किया जा सके तो प्रार्थिया को किराये के मकान में निवास करने हेतु 7000/- रूपए प्रतिमाह हस्तगत आदेश की दिनांक से अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 4 द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थिया को अदा किए जाए। हस्तगत प्रकरण में स्वयं प्रार्थिया द्वारा यह जाहिर किया गया है कि बालसिंह के चार बेटों में से अजय सिंह को छोडकर सब अलग रहते हैं, जिससे हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णित कौटुम्बिक गृह में प्रार्थिया कभी अप्रार्थी क्रम 3 नरेन्द्र सिंह तथा अप्रार्थी क्रम 5 संजय सिंह के साथ निवासरत रही हो यह तथ्य साबित नहीं हो सका है। अतः अप्रार्थी क्रम 3 नरेन्द्र सिंह व 5 संजय सिंह के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

धारा 20 के तहत मौद्रिक अनुतोषः-

22. प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा 50,000/- रूपए प्रतिमाह की आय अर्जित किए जाने का तथ्य जाहिर किया गया है, परन्तु यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रार्थिया की ओर से इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इस स्तर पर यह भी तथ्य देखा जाना है कि स्वयं प्रार्थिया द्वारा यह तथ्य जाहिर किया गया है कि अप्रार्थी क्रम 1 के चार बेटे हैं जिसमें से अप्रार्थी क्रम 4 अजय सिंह को छोडकर सभी अलग अलग रहते हैं। घरेलू हिंसा में प्रार्थिया को किसी प्रकार का मौद्रिक अनुतोष दिलवाये जाने हेतु न्यायालय को प्रकरण के Overall Facts and Circumstances के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकालना होता है कि क्या प्रार्थिया किसी प्रकार के मौद्रिक अनुतोष की अधिकारिणी है अथवा नहीं। हस्तगत प्रकरण का अप्रार्थी क्रम 1 स्वयं 72 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है व अप्रार्थी क्रम 2 उसकी बुजुर्ग धर्मपत्नी है। हस्तगत प्रकरण में स्वयं प्रार्थिया द्वारा यह जाहिर किया गया है कि उसने अप्रार्थी क्रम 1 को ऑटो चलाते हुए देखा था व अप्रार्थी क्रम 1 ऑटो चलाकर भी आय अर्जित करता है। उक्त तथ्य से यह जाहिर होता है कि वृद्धावस्था के इस पडाव पर भी अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा किसी पर आश्रित हुए बिना प्रार्थी क्रम 1 व 2 का लालन पोषण किया जा रहा है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया की मुख्य रूप से यह प्रार्थना रही थी कि प्रार्थिया को प्रार्थना पत्र में वर्णित कौटुम्बिक गृह में निवास हेतु स्थान दिया जावे जो कि न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में आदेशित किया गया है। जहां तक प्रार्थिया को मौद्रिक

अनुतोष दिलवाये जाने का प्रश्न है तो उक्त तथ्यों व आधारों के तहत प्रार्थिया के पक्ष में किसी प्रकार का कोई मौद्रिक अनुतोष का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

धारा 22 के अधीन प्रतिकर आदेशः-

23. प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उसे कोई शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कष्ट होना साबित करने में असफल रही है। अतः प्रार्थिया धारा 22 के अधीन अप्रार्थीगण से कोई प्रतिकर राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी प्रतीत नहीं होती है।

24. उक्त उपरोक्त विवेचन से प्रार्थिया धारा 19 के अधीन निवास आदेश को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रही है व इसके अतिरिक्त स्वयं को कोई अन्य अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी होना साबित करने में असफल रही है। ऐसे में विचारणीय बिन्दु 2 आंशिक रूप से प्रार्थिया के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

25. अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार प्रार्थिया सीता बाई की ओर से अप्रार्थीगण बालसिंह, शकुन्तला व अजय सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में धारा 19 के तहत निवास आदेश अनुतोष के अन्तर्गत प्रार्थिया को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान नं. 362 महावीर नगर योजना में निवास किए जाने हेतु योग्य पाया जाता है व इसके विकल्प में यदि प्रार्थिया को उक्त मकान में निवासरत किए जाने हेतु दाखिला नहीं दिया जाता है तो उक्त अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से प्रार्थिया को आदेश की दिनांक से 7,000/- रूपए प्रतिमाह अदा किए जाने का आदेश पारित किया जाता है।

:: आदेश::

26. अतः प्रार्थिया सीता बाई पत्नी स्व. जयसिंह पुत्री सरदार सिंह आयु 27 वर्ष निवासी म.नं. 362 महावीर नगर प्रथम कोटा हाल निवासी ग्राम गोपालपुरा तह. कनवास थाना कनवास जिला कोटा द्वारा अप्रार्थीगण क्रम 1. बालसिंह चौहान पुत्र इन्द्र सिंह, 2. शकुन्तला पत्नी बालसिंह चौहान, 4. अजय सिंह पुत्र बालसिंह, निवासीगण मकान नं. 362 महावीर नगर प्रथम कोटा तह. लाडपुरा जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में धारा 19 के तहत निवास आदेश अनुतोष के अन्तर्गत प्रार्थिया को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान नं. 362 महावीर नगर योजना में निवास किए जाने हेतु योग्य पाया जाता है व इसके विकल्प में यदि प्रार्थिया को उक्त मकान में निवासरत किए जाने हेतु दाखिला नहीं दिया जाता है तो उक्त

अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से प्रार्थिया को आदेश की दिनांक से 7,000/- रूपए प्रतिमाह अदा किए जाने का आदेश पारित किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में स्वयं प्रार्थिया द्वारा यह जाहिर किया गया है कि बालसिंह के चार बेटों में से अजय सिंह को छोडकर सब अलग रहते हैं, जिससे हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णित कौटुम्बिक गृह में प्रार्थिया कभी अप्रार्थी क्रम 3 नरेन्द्र सिंह तथा अप्रार्थी क्रम 5 संजय सिंह के साथ निवासरत रही हो यह तथ्य साबित नहीं हो सका है। अतः अप्रार्थी क्रम 3 नरेन्द्र सिंह व 5 संजय सिंह के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। शेष अनुतोषों के संबंध में प्रार्थिया सीता बाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(निखिल टाक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास

27. आदेश आज दिनांक **16.07.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय में सुनाया गया।

(निखिल टाक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास

AYUSH SHARMA
Digitally signed by AYUSH SHARMA
Date: 2026.07.21 16:36:36 +0530

Authenticated Document